रजिस्ट्री सं. डी एल—33002/99 | भारत सरकार | REGD. No. D.L.—33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148] दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 16, 2008/भाद्र 25, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 174

No. 148] DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16, 2008/BHADRA 25, 1930 [N.C.T.D. No. 174

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(योजना विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 16 सितम्बर, 2008

सं. फा. 9 (19) ए.डी./आर. आर./2006/सी सी/योजना/9671.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68-डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल :—

(i) इस सरकार के अधीन योजना विभाग में सहायक निदेशक (योजना/सांख्यिकी) के पद पर नियुक्ति के लिये भर्ती पद्धति तथा आवश्यक योग्यताओं के संबंध में यहां संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं, तथा;

(i) इस सरकार की दिनांक 22-2-2005 की अधिसूचना सं. फा. 9(48)/98-सीसी/योजना/8100-8101 द्वारा अधिसूचित योजना विभाग में सहायक निदेशक (योजना/सांख्यिकी) के पद के भर्ती नियमों को निरस्त करते हैं ।

अनुसूची

8000-275-13500 के वेतनमान में सहायक निदेशक (योजना/सांख्यिकी) के पद के भर्ती नियम

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
सहायक निदेशक (योजना/सांख्यिकी)	32@	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	रु. 8000-275-13500

@ इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है

कालम 1 के अधीन

1. पदनाम : सहायक निदेशक (योजना/सांख्यिकी)

कालम 1 के अधीन

1. योजना	8
2. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	4

3. पंजीयक सहकारी समितियाँ	1
4. परिवहन	2
5. पर्यटन	1
6. लोक निर्माण विभाग	1
7. उपायुक्त कार्यालय	1
8. व्यापार एवं बिक्री कर	1
9. परिवार कल्याण	1
10. श्रम	1
11. लोक नायक जय प्रकाश नारायण	1
12. शहरी विकास (ऊर्जा)	1
13. शहरी विकास	2
14. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं हौम्योपैथी	1
15. उद्योग	1
16. उच्च शिक्षा निदेशालय	1
17. शिक्षा निदेशालय	1
18. डीएसएसएसबी	1
19. डीटीटीई	1
20. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1
	32

क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	क्या जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
5	6	7
चयन	नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) **टीप :** आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ।

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी ।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
अनिवार्य :– 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/कार्यात्मक अनुसंधान/अंकगणित सांख्यिकी/प्रयोगिक सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री या अंकगणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य में सांख्यिकी एक विषय/पेपर डिग्री स्तर पर या समकक्ष, और	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : हां	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये एक वर्ष